



2026:AHC: 14515

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 42834/2025

योगराज

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: शशि प्रकाश पांडे, शुभम पांडे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, उप जिलाधिकारी, खर्जा, बुलंदशहर के हस्ताक्षर के द्वारा प्राप्त निर्देश दिनांक 10.01.2026 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है। निर्देशों में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने विवादित भूमि पर पूरी तरह से अवैध रूप से कब्जा (अतिक्रमण) किया है।

2- आज जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया, तो प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि आदेश दिनांक 30.12.2023 (राज्य बनाम कमलेश कुमार एवं अन्य) के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण दायर करने का वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध है।

3- वैकल्पिक वैधानिक उपचार की उपलब्धता को देखते हुए, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

20 जनवरी, 2026

सकलेन